न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं०-13 गाजियाबाद।

उपस्थित:-पीठासीन अधिकारी- सौरभ गोयल (एच.जे.एस.)(UP 2757)

विविध वाद संख्या 21/2022

(कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या-250/2022)

श्रीमती अमिता सिंह बनाम श्रीमती बिरोज सिन्हा आदि

उपस्थित:-

1-वादिनी श्रीमती अमिता सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार।

2-प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 की ओर विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश चौधरी।

3-प्रतिवादी संख्या 08 की ओर विद्वान अधिवक्ता श्री विकास चौधरी।

19-10-2023

निस्तारण प्रार्थना पत्र 51ग

1- वादनी/ याचनी श्रीमती अमिता सिंह की तरफ से प्रार्थनापत्र कागज संख्या 51ग अंतर्गत धारा 12 संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है जिसमें इन द्वारा कथन किया गया है कि कुमारी अविका सिंह के माता पिता द्वारा छोड़ी गयी चल व अचल सम्पत्तियों के संरक्षण व प्रबंधन हेतु संरक्षिका घोषित किये जाने हेतु योजित किया गया है जिसमें वादनी/ याचनी द्वारा स्वयं को कुमारी अविका का स्वयं घोषित संरक्षिता बताया गया है व उसकी शिक्षा दीक्षा व पालन पोषण की व्यवस्था स्वयं करना बताया है। वाद के निस्तारण में प्रतिवादी संख्या 8 की आपत्तियों को देखते हुए समय लगना विदित होना बताया है, जिससे उसके पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा आदि में बाधा उत्पन्न होने की पूर्ण सम्भावना व्यक्त की है। उसके बेहतर भविष्य हेतु अर्जित चल अचल सम्पत्ति के संरक्षण व प्रबंधन हेतु दौरान वाद सुनवाई अंतरिम संरक्षिका घोषित किये जाने के अनुतोष की मांग की है।

2- जिस पर प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से आपत्ति इस प्रकार दी गयी है कि अंतरिम संरक्षिका घोषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है व न ही वादनी का प्रार्थना पत्र पोषणीय है क्योंकि कुमारी अविका पहले से ही उसके संरक्षण में है व वादनी/ याचनी का प्रार्थना पत्र निराधार है क्योंकि उसका नाबालिग कुमारी अविका से कोई रक्त संबंध नहीं है व इसके विपरीत मृत्तक का सगा भाई प्रतिवादी संख्या 8 अभी जीवित है। अतः उसकी सभी सम्पत्तियों के लिए प्रतिवादी संख्या 8 को कुमारी अविका का संरक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। कुमारी अविका का डी.एन.ए. टेस्ट करवा अंतरिम संरक्षण नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना चाहिए।

3- वादनी/ याचनी श्रीमती अमिता सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृत्तक की बीमा पॉलिसी, फण्ड एवं बोनस का पैसा जो आना है, वह सुरक्षित रखने हेतु कुमारी अविका के नाम पर बैंक खाता खुलना आवश्यक है।

4- पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित होता है कि इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.07.2023 के माध्यम से कुमारी अविका सिंह (नाबालिग) को मृत्तक अजीत सिंह व मृत्तका अम्बालिका सिंह की बेटी होना पाया था और दोनों पक्षकारों के प्रार्थना पत्र में स्वीकृति से यह स्पष्ट तौर पर विदित है कि कुमारी अविका (नाबालिग) की अभिरक्षा वर्तमान में वादनी/ याचनी अमिता सिंह के पास है। कुमारी अविका सिंह (नाबालिग) पूर्व आदेशानुसार मृत्तक अजीत सिंह व मृत्तका अम्बालिका सिंह की पुत्री है। अतः उसकी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों की कोई वसीयत न होने की सूरत में अधिकारणी है। वर्तमान में कु० अविका नाबालिग है व उसकी अभिरक्षा वादिनी/ याचनी अमिता सिंह के पास है। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 12 के अनुसार यह न्यायालय कोई भी व्यक्ति जिसके पास नाबालिग की अभिरक्षा हो, को अस्थाई तौर पर नाबालिग की अभिरक्षा व देखरेख हेतु अस्थाई संरक्षक नियुक्त कर सकती है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 51 ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

1- वादनी/ याचनी श्रीमती अमिता सिंह की तरफ से प्रार्थनापत्र कागज संख्या 51 ग अंतर्गत धारा 12 संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

2- वादनी/ याचनी श्रीमती अमिता सिंह को कुमारी अविका सिंह की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु अस्थाई संरक्षक नियुक्त किया जाता है।

3- मृत्तकगण अजीत सिंह व अम्बालिका सिंह की सम्पत्तियों के संदर्भ में प्रार्थनी/ वादनी श्रीमती अमिता सिंह को नाबालिग के नाम पर बैंक खाता खोलने के लिए अधिकृत किया जाता है, परन्तु वादनी / याचनी को खाते से कोई पैसा निकालने के लिए निषेधित किया जाता है। इस बैंक खाते से पैसा निकालने का अधिकार इस वाद के निस्तारण के पश्चात ही न्यायालय के आदेशानुसार होगा।

4- नाबालिग कुमारी अविका सिंह के बैंक खाते का विवरण वादनी/ याचनी/ संरक्षिका श्रीमती अमिता सिंह समय-समय पर न्यायालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें।

5- पत्रावली में अग्रिम तिथि 27.10.2023 नियत हो।

(सौरभ गोयल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं०–13 गाजियाबाद।